BUREAU OF INDIAN STANDARDS

FOR IMMEDIATE RELEASE

Press Note: G/24/2017-18_____ Dated: 22 Nov 2017

BIS GOVERNING COUNCIL HOLDS ITSFIRST MEETING AFTER ENFORCEMENT OF THE NEW BIS ACT

Bureau of Indian Standards (BIS)after enforcement of the new BIS act, held its first meeting of the Governing Council on 22nd Nov 2017 at KrishiBhawan, New Delhi. It was chaired by Shri Ram Vilas Paswan, Hon'ble Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Govt. of India and was attended by distinguished members of the Governing Council.

In his presidential address Shri Paswan mentioned that the new BIS Act passed by the Parliament has been implemented with effect from 12 Oct 2017. This act has provisions for safeguarding the interests of consumers. The new Act casts an obligation not only on manufacturers but also on the players in the distribution chain regarding the quality of products. He further added that the new Act also enables the Government to make Hallmarking of gold and other precious metals mandatory. BIS has already initiated steps to effectively implement the new provisions of the Act.

He further mentioned that BIS has taken various initiatives under 'Make in India' for standard formulation which includes items relating to renewable energy, bio-fuel, auto components, electric machinery and construction etc. BIS is also contributing to 'Swachh Bharat Abhiyan' by formulating new standards on solid and plastic waste management, water and waste water supply management. BIS has also published National Building Code 2016 which provides guidelines for regulating the building construction activities across the country and serves as a model code for adoption by all agencies involved in building construction.

BIS has been granting Registration for Self Declaration of Conformity for 30 electronic items which have been made compulsory by the Ministry of Electronics & Information Technology. 13 more products have been notified by this Ministry for bringing under compulsory registration scheme. It has been an endeavor of BIS to streamline and simplify its procedures and also reduce time norms for grant of licence and registration.

He was happy to note that the time taken for granting of registration has been considerably reduced to 12 days. It is also noteworthy that BIS has been playing very active role in international standardization and recently BIS has hosted international technical committee meetings on important subjects of Spices, culinary herbs and condiments, Hydrometry, Lifts, escalators and moving walks, UHV AC transmission systems and IoT and related technologies.

A special emphasis has been given on creating awareness on BIS activities in the North East and a multi-pronged approach was adopted to give wider publicity.

By the end of October 2017, more than 33900 licences have been in operation for using ISI Mark and more than 10100 registrations have been granted. The number of jewellerlicences for Hallmarking stands at 21692.

Alka
Deputy Director, Public Relations
011-23234048

भारतीय मानक ब्यूरो

तत्काल रिलीज के लिए

प्रेस नोट: जी/24/2017-18 दिनांक 22 नवंबर 2017

नए बीआईएस अधिनियम के लागू होने के बाद बीआईएस गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक आयोजित

भारतीय मानक ब्यूरो ने नए बीआईएस अधिनियम के लागू होने के बाद अपनी गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक दिनांक 22 नवंबर 2017 को कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित की। इसकी अध्यक्षता श्री रामविलास पासवान, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, भारत सरकार द्वारा की गई और इसमें गवर्निंग काउंसिल के विशिष्ट सदस्य उपस्थित हुए।

अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में श्री पासवान ने बताया कि संसद द्वारा पारित नया बीआईएस अधिनियम दिनांक 12 अक्तूबर 2017 से कार्यान्वित हो गया है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के प्रावधान हैं। यह नया अधिनियम उत्पादों की गुणता के संबंध में न केवल निर्माताओं के लिए बाध्यता निर्धारित करता है, अपितु वितरण श्रृंखला में मौजूद लोगों को भी जवाबदेह बनाता है। उन्होंने आगे बताया कि यह अधिनियम सोना तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए भी सरकार को सक्षम बनाता है। इस नए अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए बीआईएस ने इस दिशा में पहले ही कई कदम उठाए हैं।

उन्होंने आगे उल्लेख किया कि मानक निर्धारण के लिए 'मेक इन इंडिया' के तहत ऐसी पहलें की हैं, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा, जैव-ईंधन, ऑटो कंपोनेंट, बिजली की मशीन और भवन-निर्माण से संबंधित वस्तुएँ शामिल हैं। बीआईएस ठोस तथा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, पानी तथा अपशिष्ट पानी आपूर्ति प्रबंधन पर मानक बनाकर 'स्वच्छ भारत अभियान' में भी योगदान कर रहा है। बीआईएस ने राष्ट्रीय भवन कोड 2016 का भी प्रकाशन किया है, जो पूरे देश में भवन-निर्माण गतिविधि के लिए नियामक दिशानिर्देश उपलब्ध कराता है, और भवन-निर्माण कार्य में लगी हुई, सभी एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने के लिए आदर्श कोड की भूमिका निभाता है।

बीआईएस ऐसी 30 इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए अनुरूपता की स्व घोषणा हेतु पंजीकरण प्रदान कर रहा है, जो इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनिवार्य की गई हैं। इस मंत्रालय द्वारा 13 और वस्तुएँ अनिवार्य पंजीकरण योजना के तहत लाने के लिए अधिसूचित की गई हैं। लाइसेंस तथा पंजीकरण प्रदान करने के लिए अपनी प्रक्रिया को कारगर तथा सरल बनाने और समय मानदंड को घटाने के लिए बीआईएस प्रयास कर रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि मुझे यह देखते करते हुए खुशी हो रही है कि पंजीकरण प्रदान करने हेतु लिए गए समय को 12 दिन तक पर्याप्त रूप से कम किया गया है। यह भी ध्यान देने की बात है कि बीआईएस अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण में अत्याधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है और इसके द्वारा मसाले, रसोई संबंधी जड़ी-बूटी एवं मसालों, जलमिति, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ी, चलायमान पथ, यूएचवी एसी ट्रांसमिशन सिस्टम एवं आईओटी तथा संबद्ध प्रौद्योगिकियों के महत्त्वपूर्ण विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय समिति की बैठकों का आयोजन किया गया।

उत्तर पूर्व में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष बल दिया गया और प्रचार करने के लिए बहुविध दृष्टिकोण अपनाया गया।

अक्तूबर 2017 के अंत तक, आईएसआई मुहर के प्रयोग के लिए 33900 से ज्यादा लाइसेंस प्रचालन में हैं, और 10100 से ज्यादा पंजीकरण प्रदान किए गए हैं। हॉलमार्किंग के लिए ज्वैलर लाइसेंसों की संख्या 21692 है।

अलका
उपनिदेशक, जनसंपर्क विभाग
232324048

AVINASH K. SRIVAST